



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 29.10.2024

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व 19 हजार रूपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण** –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व 19 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग 111/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त लाली पुत्र टुक्कू केवट निवासी चटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को **08 माह 15 दिन के कठोर कारावास व 5000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 09/02 धारा 325/504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-मुन्ना व 2-लक्खू पुत्रगण सीताराम निवासी अमलोहरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **कुल 5000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग 82/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त मान सिंह उर्फ मन्ना सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी सिकरोढ़ी थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जेल में **बिताई गई अवधि के कारावास व 2000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 161/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सुघर सिंह पुत्र जयकरन निवासी अलिहा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जेल में **बिताई गई अवधि के कारावास व 3000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 87/04 धारा 325/504/506/354 भादवि के अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद निवासी अमलोहरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि 03 माह 25 दिन के कारावास व 4000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।